1	2	3	4	5
1980-81	18.23	1.77	20 00	19.08
1981-82	20 86	1.47	22.33	23.83
1982-83	29 61	1.50	31.11	28.77
1983-84	38.64	2.76	41.40	38.08
1984-85	44 14	3.01	47.15	45.72
1985-86	51.95	4.09	56 04	54.60
1986-87	79 30	4.83	84.13	78.49
1987-88	86.07	6.95	93.02	89.93
1988-89	108 88	4.33	113.21	114.04
1989-90	120 02	6.74	126.76	127.98
1990-91	138.85	8.59	147.44	138.96
1991-92	158 01	6.09	164 10	155.50
1992-93	165 55	6.47	172.02	166.89
1993-94	186.46	6.51	192.97	198.64
1994-95	185.46	*—	—	—
			1367 08	1334.55

*Not compiled

GVR Sports School

6629. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the G. V. Raje Sports School, Kerala has requested for any aid, if so, the details thereof;

(b) whether SAI has recognised the GVR sports school as a training institute; and

(c) if not, whether Government propose to direct the SAI to assist the GVR sports school in developing the talented athletes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना।

6630. श्री कैलाश नारायण सारंग :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत वर्षों के दौरान संगठन के मुख्यालय में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को दी गई विभिन्न पदोन्नतियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पदोन्नति में आरक्षण की उक्त व्यवस्था अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में भी लागू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्रों में प्रतिपादित सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करता है ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों की प्रोन्नति के उद्देश्य के लिए एक सामान्य संवर्ग है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में 1994 के दौरान प्रोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का एक विवरण संलग्न है । (नीचे देखिए)

(घ) और (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विद्यमान निर्देशों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है ।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में 1994 में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों को दी गई प्रोन्नतियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण ।

क्र. सं.	प्रोन्नति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	समूह 'घ' से समूह 'ग' (अ० श्रे० लिपिक) .	—	1
2.	अ० श्रे. लिपिक से प्रवर श्रेणी लिपिक . .	3	—
3.	अवर श्रेणी लिपिक से लेखा लिपिक . . .	2	3
4.	अपर श्रेणी लिपिक से सहायक . .	1	—
5.	लेखा लिपिक से लेखा परीक्षा सहायक . .	1	1
6.	सहायक से अधीक्षक (प्रशासन) . . .	1	—
7.	लेखा परीक्षा सहायक से अधीक्षक (लेखा) . .	2	—
8.	अधीक्षक (प्रशासन) से अनुभाग अधिकारी .	—	1

Literacy through television

6631. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have a plan to introduce study materials to be spread over the country through means of telecommunication and television;

(b) whether Government have taken out the tentaive materials to be broadcast for literacy programme to reach rural population; and